उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

दिनांक 20.09.2019 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

बैठक में उपस्थित DMFT प्रबंधकीय समिति के नामित सभी सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों /कार्यपालक अभियंताओं का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

DMFT अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। योजनाओं के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

1- प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं का अनुमोदन

DMFT मद से कार्यान्वित की जा रही निम्नवर्णित योजनाएँ जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति DMFT प्रबंधकीय समिति/न्यास परिषद् के प्रत्याशा में प्रदान की गयी है, उसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश	प्राक्कलित राशि
1	सदर अस्पताल रामगढ़ में ब्लड बैंक के स्थापना हेतु 1x200 KVA Transfarmer का अधिष्ठापन कार्य।	703/जि0यो दिनांक 29.08.2019	4,90,893.00
2	विभिन्न PHC, CHC एवं HSC के कुल 52 केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजलापूर्ति की योजनाएँ	714/जि0यो दिनांक 03.09.2019	2,93,53,838.00

2- नयी योजना पर परिचर्चा एवं अनुमोदन

DMFT मद से प्रस्तावित निम्नवर्णित योजना पर विमर्शोपरान्त इसे DMFT मद से कार्यान्वित कराने हेतु समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

i. 35 आँगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आँगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति।

ii. सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के स्थापना हेतु AC एवं Generator क्रय कर आपूर्ति करने।

iii. Medical/Engg. आवासीय कोचिंग हेतु छात्र–छात्राओं के आवासन, भोजन, सुरक्षा, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था करने।

iv. सदर अस्पताल एवं PHC/CHC/HSC में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति करने एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने।

v. DMFT PMU के वाहन के लिए वर्ष 2019–20 अन्तर्गत ईंधन आपूर्ति हेतु 2.00 (दो) लाख रूपये आवंटित करने।

3- कस्तूरबा विद्यालयों में आवश्यकतानुसार चारहदिवारी ऊँचा करने एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को निदेशित किया गया। PMU DMFT को निदेशित किया गया कि वे संबंधित विद्यालयों को स्थल भ्रमण कर उनसे प्राप्त अधियाचना का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही, Medical/Engg. आवासीय कोचिंग हेतु छात्राओं (गर्ल्स) के लिए निकटतक कस्तूरबा विद्यालय में Hostel Facility के विचार को श्रेयष्कर बताते हुए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेशित किया गया।

4- ICT योजना अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विद्यालयों में कम्प्युटर लैब/प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को निदेशित किया गया।

5- आँगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आँगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु स्थल चयन करने एवं आवश्यकताओं यथा– शौचालय, पेयजलापूर्ति, बिजली, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ एवं PMU DMFT रामगढ़ को निदेशित किया गया।

6- आँगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविका/सहायिका का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु Schedule एवं डी0पी0आर0 तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेशित किया गया।

7- मॉडल विद्यालयों के विकास हेतु स्थल चयन एवं आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ एवं PMU DMFT रामगढ़ को निदेशित किया गया।

8- वैसे PHC, CHC एवं HSC जहाँ संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) की जाती है, उसकी सूची तैयार करने एवं वहाँ सभी आवश्यक मेडिकल Facility उपलब्ध कराने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश सिविल सर्जन, रामगढ़ एवं PMU DMFT रामगढ़ को दिया गया।

9- कस्तूरबा विद्यालयों में Sanitary Napkin की आपूर्ति हेतु आवश्यकता का आकलन करने तथा "पोषण वाटिका" हेतु जिला उद्यान पदाधिकारी, रामगढ़ से समन्वय स्थापित कर डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को निदेशित किया गया।

10- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में Water Harvesting की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ को दिया गया।

11- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि आंवटन के अभावन में कभी–कभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषाहार/THR वितरण में विलम्ब होता है। उनके द्वारा DMFT मद से पोषाहार की राशि उपलब्ध कराने एवं आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् राशि वापस कर DMFT मद में सामंजन करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को तत्संबंधी विस्तृत विवरणी के साथ प्रत्येक माह की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

12- सभी तकनीकी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें की योजना का निर्माण वन भूमि पर नहीं कराया जा रहा है, यदि ऐसा हो तो वन विभाग से NOC प्राप्त कर लें।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।

ज्ञापांक 773/जि0यो0 रामगढ़ दिनांक 23/09/2019

प्रतिलिपिः– PMU (DMFT) रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, रामगढ़/जिला अभियंता, जिला परिषद्, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/09/19
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।